

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
अधिसूचना

अधिसूचना सं०-01/निगम(बस क्रय)-09-05/2025 परि०, 5514 पटना, दिनांक- 03/7/2025

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा अन्तर्राज्यीय मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने उद्देश्य से अन्य राज्यों यथा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के साथ पारस्परिक परिवहन समझौता के उपरान्त राज्य के आम जन मानसों को सुगम यात्रा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ए.सी. बसों के परिचालन की योजना है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन से लगभग 3000 यात्री प्रतिदिन लाभान्वित होंगे।

इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना द्वारा रु० 74.00 लाख (चौहतर लाख) रुपये प्रति बस की अनुमानित दर से 75 AC Deluxe (2x2 Push Back) बसों का क्रय किया जाना है। उक्त बसों के क्रय हेतु बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को 55.50 करोड़ (पचपन करोड़ पचास लाख) रुपये सहायक अनुदान के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है। योजना का संचालन वित्तीय वर्ष 2025-26 से किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

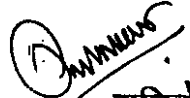

(संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी)
सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5514

पटना, दिनांक- 03/7/2025

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सचिव, 01-07-25

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5514

पटना, दिनांक- 03/7/2025

प्रतिलिपि-सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/ सभी संयुक्त-आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/प्रशासक, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, पटना/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव, 01-07-25

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 5514

पटना, दिनांक- 03/7/2025

प्रतिलिपि-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव, 01-07-25

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।